



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30521

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 468 वर्ष 2026

धनराज

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 15 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार यादव, विकास कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण को ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता और प्रत्यर्थी-गांव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:  
"क. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 (राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज) को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 331(4) के तहत द्वितीय अपील संख्या 562 वर्ष 2022 (कंप्यूटर केस संख्या AL2022143600562) धनराज बनाम राजाराम एवं अन्य, को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करने का निर्देश दे।"
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यू.पी.जेड.ए. एंड एल.आर. अधिनियम की धारा 176 के तहत विभाजन के वाद से उत्पन्न उक्त द्वितीय अपील 13.06.2022 से विचार में लिए जाने के लिए लंबित है।
4. मामले के गुण दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर द्वितीय अपील के प्रवेश/विचार में लिए जाने के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करें।
5. तदनुसार, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

11 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"